

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2016 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2016 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के आधार पर आनलाइन काउन्सिलिंग द्वारा किया जायेगा। काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी साईबर कैफे, स्वयं के कम्प्यूटर से अथवा परिषद द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित 76 सहायता केन्द्रों में से किसी केन्द्र पर जाकर निर्धारित काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में निम्न कार्य किये जाने होंगे :-

1. रजिस्ट्रेशन – समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग की वेबसाइट पोर्टल <http://jeecup.nic.in> पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फार्म नम्बर तथा पासवर्ड (आवेदन पत्र जमा करने के समय बनाया गया)। यदि अभ्यर्थी को पासवर्ड याद नहीं है तो वह Forgot Password के विकल्प का चयन करेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा नया पासवर्ड निर्मित किया जायेगा। अभ्यर्थी को इस बात का वचन देना होगा कि उसके द्वारा दिये गये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण व अन्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के मूल उसके पास उपलब्ध हैं। इसके उपरान्त उसको काउन्सिलिंग फीस हेतु रू० 250/- दिये गये विकल्पों यथा- नेट बैंकिंग, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान (भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में) के माध्यम से जमा करना होगा। यह काउन्सिलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जायेगी। काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। काउन्सिलिंग फीस के सफलपूर्वक जमा होने के पश्चात ही रजिस्ट्रेशन पूर्ण माना जायेगा।

ध्यानाकर्षण : अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण व अन्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास उपलब्ध हों।

2. च्वाइस फिलिंग – जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य सम्पन्न हो गया है, वह अभ्यर्थी अपनी च्वाइस फिलिंग का कार्य लॉगिन (आईडी व पासवर्ड) की सहायता से कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों को अपने वरीयताक्रम में शामिल करेगा। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की कोई सीमा नहीं होगी। विकल्प चयन कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। लॉक करने के उपरान्त कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं। यहाँ अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनको विकल्प चयन का अवसर केवल एक बार ही प्राप्त होगा बाद के चरणों में अभ्यर्थी से पुनः विकल्प नहीं लिये जायेंगे तथा पूर्व में दिये गये विकल्पों के आधार पर ही उनका आवंटन किया जायेगा।

ध्यानाकर्षण : अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक विकल्प जिसके लिए इच्छुक हों अवश्य डाल दें, क्योंकि एक बार च्वाइस लॉक करने के बाद पुनः अगले किसी भी चरण में च्वाइस भरने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

3. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन – जो अभ्यर्थी च्वाइस लॉक की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे उनका ही डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन परिषद द्वारा निर्धारित 76 सहायता केन्द्रों में किसी केन्द्र पर स्वयं

उपस्थित होकर कराना होगा। अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक, आरक्षण व अन्य प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) की मूल प्रति, समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति (दो सेट) व दो फोटोग्राफ लाने होंगे। सहायता केन्द्र पर काउन्सिलर्स द्वारा समस्त प्रमाण-पत्रों की जाँच की जायेगी तथा उनके सही पाये जाने पर काउन्सिलिंग वेबसाइट पर आनलाइन अपडेट किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन नहीं कराया जाता है अथवा उसके प्रमाण-पत्र पूरे/सही नहीं पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा वह इस वर्ष की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर आवंटन के समय किसी भी चरण में विचार नहीं किया जायेगा।

ध्यानाकर्षण : अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग तथा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन आदि सभी प्रक्रियायें उसे किसी एक चरण में ही सम्पन्न करनी होंगी। उपरोक्त में से कोई भी प्रक्रिया अगले चरण में स्थानान्तरित नहीं होगी तथा ऐसे अभ्यर्थी जो एक चरण में समस्त प्रक्रियायें नहीं करेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा तथा वह इस वर्ष की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।

4. आवंटन – प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आईडी0 पर उसका आवंटन दिया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसको निर्धारित तिथियों के अन्दर रू0 3000/- की सिक्योरिटी फीस जमा करना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा की स्थिति में उसका अभ्यर्थन इस वर्ष की काउन्सिलिंग के समस्त चरणों से समाप्त कर दिया जायेगा। सिक्योरिटी फीस रू0 3000/- को केवल अभ्यर्थी के द्वारा देय संस्था की फीस में समायोजित किया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जो सिक्योरिटी फीस रू0 3000/- जमा कर देंगे उनको निम्न दो विकल्प दिये जायेंगे :-

(1) FREEZE – इस विकल्प में अभ्यर्थी को दी गई सीट अन्तिम मानी जायेगी तथा अगले चरणों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से उसको अलग कर दिया जायेगा व अभ्यर्थी द्वारा अपना आवंटन पत्र निकाला जा सकेगा।

(2) FLOAT – इस विकल्प में अभ्यर्थी को अपग्रेड करने का विकल्प रहेगा तथा वह अगले चरणों की काउन्सिलिंग के लिए अपने पूर्व में दिये गये विकल्पों के आधार पर अर्ह रहेगा। अभ्यर्थी को आवंटित सीट उसको तब तक आवंटित रहेगी जब तक विकल्पों के वरीयताक्रम में आवंटित सीट से ऊपर की सीट उसको न मिल जाय।

- जो अभ्यर्थी FREEZE या FLOAT का कोई विकल्प नहीं चुनते हैं उनको FLOAT विकल्प का मानते हुए आगे की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में शामिल माना जायेगा।
- जो अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात निर्धारित सिक्योरिटी फीस रू0 3000/- नहीं जमा करेंगे उनका आवंटन निरस्त करते हुए उनको इस वर्ष की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से पूर्णतः बाहर कर दिया जायेगा।

यह आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया चार चरणों में सम्पन्न की जायेगी।

1. पहला चरण – इस चरण में सभी अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं तथा सभी सीटें अपने उर्ध्वार्धर (OPEN, OBC, SC, ST) व क्षैतिज (GIRL, MP, FF, PH) आरक्षण के अन्तर्गत रहेंगी।

2. दूसरा चरण – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :-
- (1) प्रथम चरण में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
 - (2) प्रथम चरण के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन अभ्यर्थियों को कोई काउन्सिलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा।
 - (3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चरण में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने FLOAT का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन अभ्यर्थियों को कोई काउन्सिलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा।
- इस चरण में क्षैतिज आरक्षण की सीटें उर्ध्वाधर वर्ग में शामिल करते हुए आवंटन किया जायेगा।
3. तीसरा चरण – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :-
- (1) पिछले चरणों में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
 - (2) पिछले चरणों के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन अभ्यर्थियों को कोई काउन्सिलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा।
 - (3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरणों में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने FLOAT का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन अभ्यर्थियों को कोई काउन्सिलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा।
- इस चरण में ST वर्ग की सीटें SC वर्ग में शामिल करते हुए आवंटन किया जायेगा।
4. चौथा चरण – इस चरण में निम्न अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं :-
- (1) पिछले चरणों में नहीं शामिल हुए अर्ह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
 - (2) पिछले चरणों के ऐसे अभ्यर्थी जिनको आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन अभ्यर्थियों को किसी काउन्सिलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा।
 - (3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरणों में आवंटन प्राप्त हुआ है और जिन्होंने FLOAT का विकल्प चुना है अपने पूर्व के विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु अर्ह रहेंगे, किन्तु इन अभ्यर्थियों को किसी काउन्सिलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा।
- इस चरण में उर्ध्वाधर वर्ग की सभी सीटें OPEN वर्ग में शामिल करते हुए आवंटन किया जायेगा।
- आवंटन पत्र – अन्तिम चरण की समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र अपनी लॉगिन से निकाल सकता है। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी चरण में आवंटन के पश्चात FREEZE विकल्प का प्रयोग कर अपना आवंटन पत्र लॉगिन से निकाल सकता है।
- आवंटित संस्था में प्रवेश – अभ्यर्थी को अपनी आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ प्रवेश हेतु निर्धारित तिथियों में स्वयं प्रस्तुत होना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के समस्त मूल अभिलेखों की जाँच, फीस तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी की जायेंगी, जिनके सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।